कृपया प्रकाशनार्थ **25 अगस्त 2011**

तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों को मकान किराये का 20 लाख रुपयों का बकाया मिलेगा

मुंबई, गुरुवार : "तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प से बाधित 163 परिवारों को मकान किराए के तौर पर रु. 20.37 लाख देने का आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ती श्रीमती रंजना देसाई व न्यायमूर्ती श्री. रणजीत मोरे ने दिया. प्रकल्पपीडितों की रिट की इस सुनवाई में प्रकल्पपीडितों की ओर से एड. राजीव पाटील ने तथा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने पेशी दी. तो न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड. राजेश कुमार व एड. लोपा मुनीम व महाराष्ट्र सरकार की ओर से एड. नितीन देशपांडे ने पक्ष रखा.

इस सुनवाई की अधिक जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,''तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प 3 व 4 से 1,080 मेगावैट बिजली का उत्पादन शुरु होकर भी पाच साल हुए मगर अब भी प्रकल्पपीडितों की कई समस्याओं पर हल नही निकला है. इनमें से एक विषय यह भी था कि जब तक दुसरे घर नहीं बनते तब तक हर प्रकल्पपीडित परिवार को मकान किराये के तौर पर प्रति माह रु.1,500 दिए जाए. किंतु अगस्त 2006 तक 163 परिवारों को किराया नही दिया गया जिसकी बकाया राशी रु. 20.37 लाख है. इस मामले में न्यक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन तथा महाराष्ट्र सरकार दोनों भी यह जिम्मेदारी एक - दुसरे पर डालने की कोशिश में लगे हुए थे, जिससे प्रकल्पपीडितों की कठनाईयाँ और भी बढ़ रही थी. न्यायालय में सभी ने अपना पक्ष रखने के बाद तात्कालिक राहत के स्वरुप में इस पुरी बकाया राशि का आने वाले तीन सप्ताहों के अंदर पहले महाराष्ट्र सरकार भुगतान करें और फिर जिम्मेदारी किसकी यह दोनों आपस में तय करें. अगर इस बारे में निर्णय नही हुआ तो न्यायालय आदेश देगा ऐसा न्यायमूर्तीओं के खंडपीठ ने आज कहा.''

मछुआरों का पुनर्वसन यह इस मामले में दुसरी प्रमुख माँग थी. मछुआरों को मछुआरी के लिए सागर किनारों पर जगह देने का निर्णय होकर छः वर्ष हुए हैं फिर भी अब तक उन्हें जगह नहीं दी गयी. मछुआरों को रहने के लिए दी जगह सागर किनारे से 10 किलोमीटर की दूरी पर होने से वे मछुआरी नहीं कर पा रहें हैं, जिसके कारण उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल रही है, ऐसा भी आज श्री. नाईक ने न्यायालय में कहा. अगली सुनवाई में मछुआरों की समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन न्यायमूर्तीओं ने दिया. अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

(कार्यालय मंत्री)